196

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर

प्रकरण क्र. /17रिवीजन प्र/निगरानी/अनूपपुर/भू०रा०/2017/17।।

मुस्ताक अहमद पुत्र श्री मोईयुददीन आयु–65वर्ष व्यवसाय–दुकानदारी निवासी–वार्ड क्र. 6 ग्राम तहसील व पुलिस थाना कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

..........आवेदक

दिनांक 8.6.17 को श्री एम एम सिंह अभिभाषक द्वारा 8-6-17 प्रस्तुत। 8.6.17

बनाम

1 लल्लू सोनी पुत्र श्री चुनबद्धी सोनी आयु–70वर्ष, व्यवसाय–दुकानदारी निवासी–वार्ड क्र. 1 ग्राम व तहसील पुलिस थाना कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

2 रमेश सोनी पुत्र श्री चुनबद्धी सोनी आयु–60वर्ष, व्यवसाय–दुकानदारी निवासी–वार्ड क्र. 1 ग्राम व तहसील पुलिस थाना कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

3 मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर कार्यालय कलेक्ट्रेट प्रांगण अनूपपुर (म.प्र.)

(M.M. Shrivastava) Adv.

..............अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कोतमा जिला शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.1985 वास्ते सीमांकन, प्रतिवेदन एवं फील्ड बुक मय नक्शा दिनांक 21.04.1985 को निरस्त करने बावत् रिवीजन

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कोतमा के राजस्व प्रकरण क्र. 8/अ–63/83–84 उनमान चुनबुद्धि बनाम श्यामलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/अनूपपुर/भू–रा./2017/1711

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 एम0 श्रीवास्तव द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील कोतमा जिला शहडोल (वर्तमान जिला अनूपपुर) के प्रकरण कमांक 08/अ–6 अ /83–84 में पारित आदेश दिनांक 21.4.85 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 17 वर्ष 2 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एम0 एस0 अली) सदस्य	